भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *176

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण नल जल नेटवर्क में चुनौतियां

†*176.श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू नल जल कनेक्शन वाले ऐसे ग्रामीण परिवारों की जिला-वार संख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं जिनको इस कार्य के लिए अवसंरचना उपलब्ध होने/बिछाए जाने के बावजूद वर्तमान में नियमित अथवा पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) जल संकट, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों, जहां जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नल जल कनेक्शन स्थापित किए गए हैं लेकिन जल उपलब्धता की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, में जल स्रोतों की सततता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार विशेषकर आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण भूजल संदूषण वाले वैसे क्षेत्रों में, जहां पाइप द्वारा जलापूर्ति असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर है, भूजल संदूषण का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थापित ग्रामीण नल जल नेटवर्क में जल रिसाव, अवसंरचना क्षय अथवा अक्षमताओं की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र संपरीक्षा या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों को बनाए रखने और अवसंरचना का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर के कामगारों और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या क्षमता-निर्माण पहल की गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *176 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 28.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत 12.44 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 28.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.96%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.69 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपरिपूर्णता योजना के अनुसार पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल स्रोतों में *अन्य बातों के साथ-साथ* भूजल (खुला कुआं, बोरवेल, नलकूप, हैण्डपम्प आदि), प्राचीन एवं परम्परागत सतही जल (नदी, जलाशय, झील, तालाब, झरने आदि) शामिल है तथा छोटे टैंकों में संगृहीत वर्षा जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति योजनाओं के स्रोतों के रूप में किया जा रहा है।

राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन तथा रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, बहुमूल्य ताजे पानी की बचत करने के लिए, जल की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों को दोहरी पाइपगत जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात एक पाइप में ताजे पानी की आपूर्ति और दूसरी पाइप में अपेय/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग उपयोग के लिए शोधित ग्रे/अपशिष्ट जल की आपूर्ति के साथ नई जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के परिवारों को नल में लगने वाली जाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पानी की अत्यधिक मात्रा में बचत होती है, वे अपने घर के अंदर कई नलों में इसका उपयोग कर सकते हैं।

(ग): जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों (आर्सेनिक प्रभावित बसावटों सहित) में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जल गुणवत्ता मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

यह परिकल्पना की गई थी कि ऐसी बसावटों में स्वच्छ जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे चालू करने में समय लग सकता है, इसलिए विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। आज की तारीख तक राज्यों ने आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित सभी ग्रामीण बसावटों में पाइपगत जलापूर्ति/सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) के प्रावधान की सूचना दी है।

(घ): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से, मिशन के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का वार्षिक मूल्यांकन कराता है। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 के दौरान, यह पाया गया कि 86% परिवारों (एचएच) के पास कार्यशील नल कनेक्शन थे। इनमें से 85% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% परिवारों को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की जलापूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 की एक प्रति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports पर देखा जा सकता है।

(ङ): इसके शुभारंभ के बाद से, जल जीवन मिशन को एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत, गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को योजना बनाने, समुदायों को एकजुट और शामिल करने, सूचना का प्रसार करने तथा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

ग्रामीण समुदायों में 'स्वामित्व और गौरव की भावना' लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों तथा दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों, वन्य क्षेत्रों, जल की कमी वाले और 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों के मामले में गांव में अवसंरचना लागत के 5% की सीमा तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है तथा शेष गांवों में 10% तक सामुदायिक योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को योजना बनाने, कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाने और संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल प्रदान किया जा सके तथा "नल जल मित्र" के रूप में तैयार किया जा सके, ताकि वे योजना ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें तथा मामूली मरम्मत और रखरखाव करने में सक्षम बन सकें, जिसमें कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में कार्य करके उनके द्वारा अपने गांव में पाइपगत जलापूर्ति स्कीम (स्कीमों) का निवारक रखरखाव करना शामिल है।

वीएपी तैयार करते समय, आरएलबी/पीआरआई को जल एवं स्वच्छता हेतु 15वें वित्त आयोग का सशर्त अनुदान, जेजेएम, एसबीएम (जी), मनरेगा, एमपी/एमएलए-स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि (डीएमडीएफ), सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्य सर्वोपरि है। दीर्घावधि में, यह आशा की जाती है कि ग्राम समुदाय गांव की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्यता के साथ उपयोग करेगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में संदर्भित विवरण में उल्लिखित अनुबंध

(संख्या लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	अगस्त, 2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		28.07.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		28.07.2025 तक शेष ग्रामीण परिवार
			संख्या	%	संख्या	%	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100.00	-
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.29	100.00	-
3	दादर नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	-
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	2.64	100.00	-
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100.00	-
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100.00	-
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100.00	-
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100.00	-
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100.00	-
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	34.27	100.00	-
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100.00	-
12	उत्तराखंड	14.49	1.30	9.00	14.15	97.63	0.34
13	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.39	96.88	0.01
14	बिहार	167.55	3.16	1.89	160.36	95.71	7.19
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.41	93.60	0.23
16	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	1.22	91.85	0.11
17	लक्षद्वीप	0.13	-	0.00	0.12	91.44	0.01
18	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.93	240.95	90.17	26.27
19	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	132.05	89.96	14.73
20	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	111.64	89.12	13.63
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.47	86.10	1.04
22	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	86.78	85.66	14.53
23	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.40	82.90	1.11
24	असम	72.24	1.11	1.54	58.97	81.63	13.27
25	छत्तीसगढ	49.98	3.20	6.40	40.60	81.24	9.38
26	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.87	15.61	81.02	3.66
27	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.59	79.59	0.92
28	ओडिशा	88.67	3.11	3.51	68.17	76.88	20.50
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	70.63	73.93	24.90
30	मध्य प्रदेश	111.71	13.53	12.11	78.59	70.35	33.12
31	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	61.16	56.76	46.59
32	पश्चिम बंगाल	175.53	2.15	1.22	98.56	56.15	76.97
33	झारखंड	62.54	3.45	5.52	34.43	55.05	28.11
34	केरल	70.77	16.64	23.51	38.68	54.66	32.09
	कुल	**19,36.45**	**3,23.63**	**16.71**	**15,67.73**	**80.96**	**3,68.72**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस   एचएच: परिवार